न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— धारा सिंह मीणा, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः—14/2020/अपील

1 मांगूसिंह पुत्र मनोहरसिंह
2 शक्तिसिंह पुत्र मनोहरसिंह
3 संतोष कंवर पुत्री मनोहरसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण भिराना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 गज्जू कंवर पत्नी पुष्पसिंह
2 गिरवरसिंह पुत्र मानसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण बलवंतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
3 नायब तहसीलदार लोसल

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामांतकरण सं. 373 दिनांक 26.08.2019 द्वारा नायब तहसीलदार लोसल

वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत

निर्णय **दिनांकः—17.09.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 2.44 है0 वाकै ग्राम बलवंतपुरा पटवार हल्का लौसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा, काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही अपीलांट के पूर्वजों का चला आ रहा है। जागीरदारी प्रभाव में आने से पूर्व से ही अपीलांट के दादा वादग्रस्त भूमि को काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट के पिता काश्त करते चले आ रहे थे। अपीलांट के पिता अपने पिता के जीवन काल में ही उनके साथ काश्त करते चले आ रहे थे इस प्रकार अपीलांट का आज भी मौके पर कब्जा काश्त होकर फसल की बुवाई कर रखी है तथा रहने के लिए अपीलांट द्वारा पुख्ता मकानात बनाकर अवास निवास कर रहे है। रेस्पो. संख्या 2 ने राजस्व कर्मचारियों से साजिश कर जब अपीलांट के दादा फोत हुए तब रेस्पो. संख्या 2 ने अपने पिता के नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली तथा जब रेस्पो. संख्या 2 के पिता फोत हुए उस समय अपनी विरासत का नामांतकरण बाला बाला भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 2.44 है0 1/4 हिस्सा दर्ज करवा लिया परंतु रेस्पो. संख्या 2 का मौके पर कोई कब्जा, काश्त नहीं है। रेस्पो. संख्या 2 का हिस्सा 1/4 दर्ज था। रेस्पो. संख्या 2 ने अपना हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 12/13 यानि सम्पूर्ण में से हिस्सा 3/13 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.08.2000 को रेस्पो. संख्या 1 को बेचान किया। उक्त भूमि पर ना तो कभी रेस्पो. संख्या 2 का किसी भी रूप में कब्जा रहा तथा ना ही विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो. संख्या 1 का भी कोई कब्जा काश्त रहा है। विक्रय पत्र सन् 2000 में रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी वर्ष 2019 तक इसका राजस्व रिकार्ड में कोई अमल दरामद नहीं हुआ। रेस्पो. संख्या 2 के मन में बदनियति आने पर रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 11.08.2000 को उपपंजीयक दांतारामगढ़ के यंहा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 141 पृष्ठ संख्या 145 कम संख्या 959 पर किया गया जिसकी अपीलांट को पूर्व में किसी प्रकार की जानकारी नहीं

अति. जिला कलक्टर, सीकर

हुई। रेस्पो. संख्या 1 द्वारा बाला बाला रेस्पो. संख्या 3 से मिलकर दिनांक 26.08.2019 को नामांतकरण संख्या 373 बिना मौके की जांच किये ही रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया, जो नामांतकरण तस्दीक किया गया है। वह विक्रय पत्र बनाने के 19 वर्ष पश्चात् मौके की जांच किये बिना गलत व साजशी रूप से भरा गया है। कानूनन किसी भी पंजीकृत दस्तावेजात का 19 वर्ष बाद बिना कब्जे की जांच किये तथा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना जांच रिपोर्ट मंगवाये बिना भरा गया नामांतकरण संख्या 373 दर्ज करना न्यायोचित नहीं है। विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 298 रकबा 2.44 है0 पर मौके पर अपीलांट का कब्जा, काश्त व उपयोग उपभोग है। वादग्रस्त भूमि पर ना तो कभी रेस्पो. संख्या 2 का कब्जा, काश्त रहा था तथा ना ही रेस्पो. संख्या 2 द्वारा रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 11.08.2000 होने के पश्चात् रेस्पो. संख्या 1 का कोई कब्जा, काश्त रहा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 132 व 133 की कोई पालना चुनौतिग्रस्त नामांतकरण संख्या 373 को तस्दीक करने से पूर्व नायब तहसीलदार लोसल द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई तथा ना ही कब्जा परिवर्तन रिपोर्ट बाबत किसी प्रकार की कोई जांच की गई। इस प्रकार नियमों व विधि सम्मत प्रक्रिया की पालना नहीं किये जाने के कारण चुनौतिग्रस्त नामांतकरण संख्या 373 खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 373 दिनांक 26.08.2019 द्वारा नायब तहसीलदार लोसल निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पो. अनुपस्थित रहे। तहसीलदार दांतारामगढ़ से मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस यह कथन किया गया कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 298 पर जागीरदारी प्रभाव में आने से पूर्व से ही अपीलांट के दादा काश्त करते आ रहे थे एवं उसके पश्चात् अपीलांट के पिता काबिज काश्त थे एवं आज भी अपीलांट द्वारा मौके पर पुख्ता मकान बनाकर कब्जा काश्त होकर फसल की बुवाई कर रखी है। रेस्पो. संख्या 2 द्वारा अपीलांट के दादा फोत हुए तब रेस्पो. संख्या 2 द्वारा अपने पिता के नाम खातेदारी गलत रूप से दर्ज करवा ली। विवादग्रस्त आराजियात पर रेस्पो. का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः अपीलाधीन नामांतकरण निरस्त फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण मुताबिक विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। नामांतकरण तस्दीक की कार्यवाही हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.08.2019 को नामांतकरण भरा जाकर भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 26.08.2019 को रिपोर्ट की गई एवं नायब तहसीलदार लोसल द्वारा दिनांक 26.08.2019 को नामांतकरण स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 298 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर लोहे का गेट लगा हुआ है। खसरे का दक्षिणी से लगता हुआ एक टीन फोश मकान भी बना हुआ है। जिसमें घरेलु कनेक्शन है जो कि मांगुसिंह पुत्र मनोहर सिंह का होना बताया है तथा खेत में लगा लोहे का गेट भी मांगुसिंह पुत्र मनोहर सिंह का होना बताया है तथा उक्त खसरा नम्बर पर पूर्व में मांगुसिंह के पिता ही काश्त करते थे तथा आज मांगुसिंह पुत्र मनोहर सिंह ही काश्त कर रहे है। तथा अन्य कोई खातेदार इस खसरे पर काश्त नहीं कर रहा है। फसल रबी 2077 में इस खसरे में गेंहू सरसो व चना की काश्त की हुई है।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर अपीलाधीन नामांतकरण विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.08.2019 को नामांतकरण भरा जाकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 26.08.2019 को रिपोर्ट की गई एवं नायब तहसीलदार लोसल द्वारा दिनांक 26.08.2019 को नामांतकरण स्वीकार किया गया। इस प्रकार दिनांक 11.08.2000 को निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर 19 वर्ष पश्चात् नामांतकरण दर्ज करने से लेकर स्वीकृत करने सम्बंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पटवारी से लेकर तहसीलदार तक एक ही दिन में की गई है जो कि संदेहात्मक प्रतीत होती है। तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट के मुताबिक विवादग्रस्त आराजियात पर अपीलांटान का मौके पर कब्जा एवं घरेलु कनेक्शन है तथा विवादग्रस्त आराजियात पर पूर्व से ही अपीलांटान के पिता ही काश्त करते थे एवं आज भी अपीलांटान ही काश्त कर रहे है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व भली भांति जांच नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ नायब तहसीलदार लोसल द्वारा दिनांक 26.08.2019 को तस्दीक नामांतकरण संख्या 373 निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार जांच करते हुए पुनः नामांतकरण तस्दीक की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धास सिंह मीणा)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर